पत्रांक - 1489/0-100/2024 **30** दिनांक 24-01-2024

To,

The Registrar,
National Green Tribunal
Principal Bench, New Delhi.

Subject- Rsponse on behaf UP Pollution Control Board compliance of order dated 30-10-2023 in O.A. No. 435/2023 "Jasbir Singh V/s State of U.P.

Respected Sir,

In the above noted case, Hon'ble Tribunal has given direction as below :-

"**In view of the averments made in the application and observations made in the report of the Joint Committee, we consider it appropriate to seek response thereto from (1) State of Uttar Pradesh through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, (2) Principle Secretary, Housing and Urban Planning Department, Government of Uttar Pradesh, (3) Mathura-Vrindavan Development Authority, Mathura, (4) Nagar Nigam Mathura-Vrindavan (5) District Magistrate, Mathura (6) UPPCB, and (7) M/s. S.J.P. Global Limited, Mathura who stand impleaded as respondents no. 1 to 7. The Registry is directed to prepare memo of O.A No. 435/2023 Jasbir Singh Vs. State of U.P. & Ors. 2 parties and attach the same with the application and to issue notices to respondents no. 1 to 7.**

In the compliance of above direction response on behalf of UP Pollution Control Board is submitted for kind and perusal and further action in this regard.

Your faithfully,

Enclosure :- As above

24/01/24

Regional Officer (I/C)

C.C :- For kind information please:-

1. Member Secretary, UP Pollution Control Board, Lucknow.
2. District Magistrate, Mathura.
3. Sri Arvind Kumar, Advocate H'ble N.G.T. New Delhi.
4. Chief Environment Officer (Circle-4), UP Pollution Control Board, Lucknow.
5. Chief Law Officer, UP Pollution Control Board, Lucknow.

Regional Officer (I/C)

Response on behalf of U.P. Pollution Control Board in the matter of O.A. No.- 435/2023 Jasbir Singh Vs. State of U.P.& Ors. dated 30.10.2023 passed by Hon'ble NGT

Hon'ble NGT has passed an order dated 30.10.2023 in O.A. No. 435/2023 Jasbir Singh Vs. State of U.P. & Ors.. The operative part of the order is as under:-

"......2. In view of the averments made in the application and observations made in the report of the Joint Committee, we consider it appropriate to seek response thereto from (1) State of Uttar Pradesh through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, (2) Principle Secretary, Housing and Urban Planning Department, Government of Uttar Pradesh, (3) Mathura-Vrindavan Development Authority, Mathura, (4) Nagar Nigam Mathura-Vrindavan (5) District Magistrate, Mathura (6) UPPCB, and (7) M/s. S.J.P. Global Limited, Mathura who stand impleaded as respondents no. 1 to 7. The Registry is directed to prepare memo of parties and attach the same with the application and to issue notices to respondents no. 1 to 7.

3. Mr. Arvind Kumar, Advocate has appeared for respondent no. 6- UPPCB and Ms. Ranu Purohit Advocate has appeared for respondent no. 7-the project proponent and they accept notices on their behalf and seek time for filing of their reply/response.
4. Reply/response by respondent no. 1 to 7 be filed within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.
5. List for further consideration on 29.01.2024."

In compliance of the Hon'ble NGT direction, response on behalf of U.P. Pollution Control Board is as follows:

1- The above mentioned O.A. is regarding the complaint against S.J.P. Global Limited for development of Shri Radha Florence, Vrindavan Colony without establishing STP, rain water harvesting systems, proper arrangements for disposal of solid waste, no development of green belt.

2- Hon'ble NGT vide order dt. 01.08.2023 constituted a Join Committee comprising of CPCB, SPCB and District Magistrate Mathura and directed to submit the action taken report.

3- In the compliance of Hon'ble NGT order dt. 01.08.2023 the Joint Committee report was submitted on 28.08.2023.

4- The show cause notice regarding imposition of Environmental Compensation at the rate of Rs. 6,250 per day from 16.02.2016 was issued vide letter no. H00654/C-4/NGT-175/SCN/2023 dated 13.09.2023 on the basis of inspection on 22.08.2023. The inspection report dt. 25.08.2023 and the copy of the show cause notice are enclosed as **Annexure-I & II.**

5- The project was granted No Objection Certificate (NOC) from Regional office, U.P. Pollution

Control Board, Mathura vide letter no.-1441/NOC-718/12 dt. 15.02.2012 with the specific conditions such as to install the STP for the treatment of domestic effluent generated from the colony and to use the treated effluent for irrigation purpose in the project premises, installation of rain water harvesting arrangement, disposal of solid waste as per applicable rules and development of proper green belt around the colony premises.

6- The site of M/s S.J.P. Global Limited (Project Shri Radha Florence), Khasra No.-844 to 848, 850, 851, 867 to 871, Mauza- Sunrakh Bangar, Tehsil & District Mathura was inspected on 18.01.2024 by the officials of Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Mathura. During inspection it was found that the said colony has total plot area 94548.88 Sqr. meter and consist Simplex Villas, Duplex Villas and plots of different sizes and construction work on 25 plots is in progress. At present the total population of the colony is approximately 350 persons. The project proponent has not installed Sewage Treatment Plant (STP) for the treatment of domestic effluent. According to a letter from office of General Manager (Jal), JalKal Vibhag, Nagar Nigam, Mathura Vrindavan, Mathura dated 19.01.2024, the disposal of sewer line from the colony is connected with the trunk sewer line which ultimately goes to 8.0 MLD STP installed at Mant road, Mathura. The colony was transferred to Nagar Nigam Mathura Vrindavan for infrastructural services on 01.11.2021. The project has constructed five collection pits (size 4×3 feet each) for rain water harvesting. The municipal solid waste is collected by Nagar Nigam Mathura Vrindavan on door to door basis. The project has developed green belt on an area 14513.71 Sqr. meter. The copy of inspection report dt. 18.01.2024 along with enclosure is enclosed as **Annexure- III**

7- The Environmental Compensation of Rs. 1,11,06,250/- (Rs. One Crore Eleven Lac Six Thousand Two hundred fifty only) at the rate of Rs. 6,250 per day for 1771 days violation from 16.02.2016 to 31.10.2021 has been imposed vide letter no.- H06155/C-4/NGT-175/EC/2024 dated 24.01.2024 against the project M/s S.J.P. Global Limited (Project Shri Radha Florence), Khasra No.-844 to 848, 850, 851, 867 to 871, Mauza- Sunrakh Bangar, Tehsil & District Mathura. The project proponent is also directed to deposit the amount of imposed Environmental Compensation of Rs. 1,11,06,250/- (Rs. One Crore Eleven Lac Six Thousand Two hundred fifty only) within 07 days and the copy of the notice is also endorsed District Magistrate Mathura for information and necessary action. The copy of the notice issued letter dated 24.01.2024 is enclosed as **Annexure-IV**

The above response is being submitted for perusal and consideration.

24/01/2024

Regional Officer (Incharge),
U.P. Pollution Control Board,
Mathura

वेब साइट: www.uppcb.com
ई-मेल :- romathura@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board
भवन सं0-65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड, मथुरा

पत्रांक 923/0-100/2023 दिनांक 25/08/2023

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-435/2023 "जसवीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0" में पारित आदेश दिनांक 01.08.2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-435/2023 "जसवीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0" में पारित आदेश दिनांक 01.08.2023 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

"The applicant, a resident of Shri Radha Florance, Vrindavan Colony has sent present letter petition, which has been treated and registered as Original Application, complaining that NOC was granted to S.J.P. Global Limited for development of Shri Radha Florence, Vrindavan Colony. The builder has not established STP and rain water harvesting systems and has not made proper arrangements for disposal of solid waste. No green belt has been developed along the boundaries of the colony and no trees have been planted in the colony except in one park. The applicant made oral and written complaints against the builder but no action has been taken on the same."

अतः उक्त पारित आदेशों के अनुपालन में रियल स्टेट प्रोजेक्ट मै0 एस0जे0पी0 रीयल स्टेट लि0 (प्रोजेक्ट श्री राधा फ्लोरेन्स) का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 22.08.2023 को किया गया (आख्या की छायाप्रति संलग्न)। संलग्न निरीक्षण आख्यानुसार संदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट मै0 एस0जे0पी0 रीयल स्टेट लि0 (प्रोजेक्ट श्री राधा फ्लोरेन्स), खसरा सं0-844 से 848, 850, 851, 867 से 871, मौजा-सुनरख बांगर, तहसील व जनपद-मथुरा के विरूद्व रू0 6250/- प्रतिदिन की दर से दिनांक 16.02.2016 से समस्या का समाधान होने तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

25/08/2023
(डॉ0 योगेन्द्र कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि-विधि अधिकारी (प्रथम), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

मै0 एस0जे0पी0 रीयल स्टेट लि0 (प्रोजेक्ट श्री राधा फ्लोरेन्स), खसरा सं0–844 से 848, 850, 851, 867 से 871, मौजा–सुनरख बांगर, तहसील व जनपद–मथुरा के सम्बन्ध में आख्या।

उपरोक्त संदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट मै0 एस0जे0पी0 रीयल स्टेट लि0 (प्रोजेक्ट श्री राधा फ्लोरेन्स) का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 22.08.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय बिल्डर के प्रतिनिधि के रूप में श्री जितेन्द्र शाह, साइट इन्जीनीयर एवं श्री शेखर अग्रवाल, डारेक्टर प्रोजेक्ट उपस्थित थे। विस्तृत आख्या का विवरण निम्नवत् है–

1. संदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट मै0 एस0जे0पी0 रीयल स्टेट लि0 (प्रोजेक्ट श्री राधा फ्लोरेन्स) ताज ट्रैपेजियम जोन के क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं0–844 से 848, 850, 851, 867 से 871, मौजा–सुनरख बांगर, तहसील व जनपद–मथुरा पर स्थापित है, जिसके अक्षांश–27.562241 एवं देशान्तर–77.65474 है।
2. संदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट को राज्य बोर्ड के पत्रांक 1441/एन0ओ0सी0–718/12 दिनांक 15.02.12 द्वारा सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था, जिसके क्रम में बिल्डर द्वारा कॉलोनी का निर्माण कर उसे विकसित किया गया तथा आवंटियों को रहने हेतु आवंटित किया गया।
3. सन्दर्भित कालोनी में सिंप्लेक्स विला–286 (प्रत्येक 83.52 वर्ग मी0), डुप्लेक्स विला–47 (प्रत्येक 100.33 वर्ग मी0), प्लाट–202 (149.25 वर्ग मी0 एवं 83.52 वर्ग मी0), जिसमें 25 प्लॉट निर्मित एवं 25 प्लॉटों पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। कॉलोनी में लगभग आबादी 350 है।
4. संदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट से जनित घरेलू बहिःश्राव के शुद्धिकरण हेतु सीवेज ट्रीटमेंन्ट प्लाट की स्थापना राज्य बोर्ड की अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तो के बिन्दु संख्या 03 के अनुसार की जानी थी, परन्तु बिल्डर द्वारा कालोनी से जनित घरेलू उत्प्रवाह को नगर निगम की सीवेज लाईन से सम्बद्ध किया गया, जिसका शुद्धिकरण रूकमणी विहार एस0पी0एस0 के माध्यम से 08 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 द्वारा किया जाता है। बिल्डर द्वारा कालोनी की सीवेज लाईन को नगर निगम से सम्बद्ध किये जाने हेतु कोई प्रपत्र/अभिलेख/भुगतान की रसीद इत्यादि प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है।
5. संदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हेतु 05 कलैक्शन पिट (प्रत्येक साइज–4x3 फिट) का निर्माण किया गया है।
6. संदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट में सॉलिड वेस्ट के कलैक्शन हेतु कोई जगह निश्चित नहीं की गयी है। कालोनी के सॉलिड वेस्ट को डोर–टू–डोर रिक्शे द्वारा कलैक्ट किया जाता है। कालोनी में नगर निगम मथुरा द्वारा 04 लोहे के वेस्ट कलेक्शन पिट रखे गये है। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधी ने अवगत कराया कि उक्त सॉलिड वेस्ट को नगर निगम द्वारा कलैक्ट किया जाता है, जिसे निस्तारण हेतु नगर निगम की डम्पिंग साइट भेजा जाता है।
7. संदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट में कालोनी के एक तरफ की दीवार की तरफ हरित पट्टिका विकसित की गयी है तथा कालोनी में छोटे–छोट स्थलों पर हरित पट्टिका विकसित की गयी है।
8. संदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट के विरूद्व प्राप्त शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में इस कार्यालय के पत्रांक 727/जे–75/2023 दिनांक 13.07.2023, 645/जे–75/2023 दिनांक 12.06.2023 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र में वर्णित बिन्दुओं की अनुपालन आख्या प्रेषित करने हेतु पत्र प्रेषित किये गये थे, जिसका प्रतिउत्तर वर्तमान समय में रियल स्टेट प्रोजेक्ट स्वामी द्वारा कार्यालय में प्रेषित नहीं किया गया है।
9. संदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट के बिल्डर द्वारा कालोनी के संचालन से पूर्व राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त नहीं की गयी है।
10. प्रश्नगत प्रकरण मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–435/2023 के अन्तर्गत विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त विन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए संदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट मै0 एस0जे0पी0 रीयल स्टेट लि0 (प्रोजेक्ट श्री राधा फ्लोरेन्स), खसरा सं0–844 से 848, 850, 851, 867 से 871, मौजा–सुनरख बांगर, तहसील व जनपद–मथुरा के विरूद्व रू0 6250/– प्रतिदिन की दर से दिनांक 16.02.2016 से समस्या का समाधान होने तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

25.08.23
(शैलेश मौर्य)
अनुश्रवण सहायक

25/08/23
(डॉ0 स्नेहलता)
वैज्ञानिक सहायक

25/08/2023
(आर0पी0 सिंह)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

O.A. NO-435/2023

25/08/2023

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक H006554 / सी–4 / एनजीटी–175 / का0व0नो0 / 2023 पंजीकृत दिनांक 13-9-23

मै0 एस0जे0पी0 रीयल स्टेट लि0,
(प्रोजेक्ट श्री राधा फ्लोरेन्स),
खसरा सं0–844 से 848, 850, 851, 867 से 871,
मौजा–सुनरख बांगर,
तहसील व जनपद–मथुरा।

विषय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 स0–435 / 2023 जसवीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 01.08.2023 के अनुपालन में कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने के संबध में।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–435 / 2023 जसवीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेशों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रश्नगत प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 01.08.2023 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत है:–

"1 *The applicant, a resident of Shri Radha Florance, Vrindavan Colony has sent present letter petition,, which has been treated and registered as Original Application, complaining that NOC was granted to S.J.P. Global Limited for development of Shri Radha Florence, Vrindavan Colony. The builder has not established STP and rain water harvesting systems and has not made proper arrangements for disposal of solid waste. No green belt has been developed along the boundaries of the colony and no trees have been planted in the colony except in one park. The applicant made oral and written complaints against the builder but no action has been taken on the same*

4 *Further, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of CPCB, State PCB and District Magistrate, Mathura and direct the same to meet within one week, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action including imposition of environmental compensation and utilization thereof for remediation of environmental damage by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponent......"*

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में रियल स्टेट प्रोजेक्ट
मै0 एस0जे0पी0 रीयल स्टेट लि0, (प्रोजेक्ट श्री राधा फ्लोरेन्स), खसरा सं0–844 से 848, 850, 851, 867 से 871,
मौजा–सुनरख बांगर, तहसील व जनपद–मथुरा का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा के
प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई प्रतिनिधि श्री जितेन्द्र शाह, साइट इन्जीनियर एवं श्री शेखर अग्रवाल, डायरेक्टर प्रोजेक्ट
की उपस्थिति में दिनांक 22.08.2023 को करते हुए निरीक्षण आख्या पत्रांक–923 / आ–100 / 2023, दिनांक 25.08.2023 के
माध्यम से प्रेषित की गयी है। निरीक्षण आख्यानुसार रियल स्टेट प्रोजेक्ट मै0 एस0जे0पी0 रीयल स्टेट लि0, (प्रोजेक्ट श्री
राधा फ्लोरेन्स), ताज ट्रैपेजियम जोन के क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं0–844 से 848, 850, 851, 867 से 871, मौजा–सुनरख
बांगर, तहसील व जनपद–मथुरा पर स्थापित है। संदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट को राज्य बोर्ड के पत्रांक–1441 /
एन0ओ0सी0–718 / 12, दिनांक 15.02.2012 द्वारा सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था, जिसके बिन्दु सं0–3
के अनुसार संदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट से जनित घरेलू बहिःश्राव के शुद्धिकरण हेतु सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की स्थापना
की जानी थी, परन्तु बिल्डर द्वारा कालोनी से जनित घरेलू उत्प्रवाह का नगर निगम की सीवेज लाइन से सम्बद्ध किया
गया, जिसका शुद्धिकरण रुकमणी विहार एस0पी0एस0 के माध्यम से 08 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 द्वारा किया जाता है।
जिसके संबंध में बिल्डर द्वारा कोलानी को सीवेज लाइन को नगर निगम से सम्बद्ध किये जाने हेतु कोई प्रपत्र / अभिलेख /
रसीद आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। संदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हेतु 05 कलेक्शन पिट का निर्माण
किया गया है। संदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट में सॉलिड वेस्ट के कलेक्शन हेतु कोई जगह निश्चित नहीं की गयी है।

टी.सी.–12वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

T.C.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

कालोनी के सॉलिड वेस्ट को डोर-टू-डोर रिक्शे द्वारा कलेक्ट किया जाता है। कालोनी में नगर निगम मथुरा द्वारा 04 लोड के वेस्ट कलेक्शन पिट रखे गये है। संदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट में कालोनी के एक तरफ की दीवार की तरफ हरित पट्टिका विकसित की गयी है तथा कालोनी मे छोटे-छोटे स्थलों पर हरित पट्टिका विकसित की गयी है। संदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट के बिल्डर द्वारा कालोनी के संचालन से पूर्व राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त नहीं की गयी है।

यह कि संदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मथुरा के पत्रांक-727/जे-75/2023, दिनांक 13.07.2023, पत्रांक-545/जे-75/2023, दिनांक 12.06.2023 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र मे वर्णित बिन्दुओ की अनुपालन आख्या प्रेषित करने हेतु पत्र प्रेषित किये गये थे, जिसका प्रतिउत्तर रियल स्टेट प्रोजेक्ट स्वामी द्वारा प्रेषित नही किया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण, मथुरा द्वारा पत्रांक-923/ओ-100/2023 दिनांक 25.08.2023 के माध्यम से प्रेषित आख्या में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-435/2023 जसवीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 01.08.2023 के निर्देशों के अनुपालन में रियल स्टेट प्रोजेक्ट मै0 एस0जे0पी0 रीयल स्टेट लि0, (प्रोजेक्ट श्री राधा फ्लोरेन्स), खसरा सं0-844 से 848, 850, 851, 867 से 871, मौजा-सुनरख बांगर, तहसील व जनपद-मथुरा के विरूद्ध रू0 6,250/- प्रतिदिन की दर से दिनांक 16.02.2016 से समस्या का समाधान होने तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 25.08.2023 के अनुक्रम में रियल स्टेट प्रोजेक्ट मै0 एस0जे0पी0 रीयल स्टेट लि0, (प्रोजेक्ट श्री राधा फ्लोरेन्स) खसरा स0-844 से 848, 850, 851, 867 से 871, मौजा-सुनरख बांगर, तहसील व जनपद-मथुरा के विरुद्ध निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न रियल स्टेट प्रोजेक्ट मै0 एस0जे0पी0 रीयल स्टेट लि0, (प्रोजेक्ट श्री राधा फ्लोरेन्स), खसरा सं0-844 से 848, 850, 851, 867 से 871, मौजा-सुनरख बांगर, तहसील व जनपद-मथुरा के विरुद्ध रू0 6,250/- प्रतिदिन की दर से दिनांक 16.02.2016 से समस्या का समाधान होने तक पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित अधिरोपित कर दी जाये।

अतः उपरोक्त के संबंध में अपना प्रतिउत्तर सुसंगत अभिलेखों/साक्ष्य सहित पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व जिम्मेदार प्रतिनिधियों का होगा।

<u>सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।</u>

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

प्रतिलिपि
1. जिलाधिकारी, मथुरा को सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा को सूचनार्थ एवं अनुवर्ती कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

13/9/23

बेवसाइटः www.uppcb.com
ई–मेलः- romathura@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board
भवन सं0–65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड, मथुरा

पत्रांकः 1487/0-100/2024 दिनांक 24/01/2024

सेवा में
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः– **मै0 एस0जे0पी0 रीयल स्टेट लि0 (प्रोजेक्ट श्री राधा फ्लोरेन्स), खसरा सं0–844 से 848, 850, 851, 867 से 871, मौजा–सुनरख बांगर, तहसील व जनपद–मथुरा को जारी कारण बताओ नोटिस को निक्षेपित किये जाने के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–एच00654/सी–4/एनजीटी–175/का0ब0नो0/2023 दिनांक 13.09.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में सन्दर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट मै0 एस0जे0पी0 रीयल स्टेट लि0 (प्रोजेक्ट श्री राधा फ्लोरेन्स) का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 18.01.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्या मूल रूप में संलग्न है। संलग्न निरीक्षण आख्यानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित सूत्र के अनुसार संदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट मै0 एस0जे0पी0 रीयल स्टेट लि0 (प्रोजेक्ट श्री राधा फ्लोरेन्स), खसरा सं0–844 से 848, 850, 851, 867 से 871, मौजा–सुनरख बांगर, तहसील व जनपद–मथुरा के विरूद्ध रू0 6,250/– मात्र प्रतिदिन की दर से दिनांक 16.02.2016 से दिनांक 31.10.2021 तक कुल 1777 दिन, कुल रू0–1,11,06,250/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ जारी कारण बताओ नोटिस को निक्षेपित की संस्तुति सहित अनुपालन आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

24/01/2024

(आर0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

o/c J.E

Shashi M.A

O.A. NO.-435/2023 "Jasbir Singh" Hindi Ins.rep.

मै0 एस0जे0पी0 रीयल स्टेट लि0 (प्रोजेक्ट श्री राधा फ्लोरेन्स), खसरा सं0–844 से 848, 850, 851, 867 से 871, मौजा–सुनरख बांगर, तहसील व जनपद–मथुरा को जारी कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या।

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक–एच00654/सी–4/एनजीटी–175/का0ब0नो0/2023 दिनांक 13.09.2023 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के परिप्रेक्ष्य में संदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट मै0 एस0जे0पी0 रीयल स्टेट लि0 (प्रोजेक्ट श्री राधा फ्लोरेन्स) का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 18.01.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय बिल्डर के प्रतिनिधि के रूप में श्री जितेन्द्र शाह, साइट इन्जीनियर एवं श्री शेखर अग्रवाल, डारेक्टर प्राजेक्ट उपस्थित थे। विस्तृत आख्या का विवरण निम्नवत् है–

1. संदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट मै0 एस0जे0पी0 रीयल स्टेट लि0 (प्रोजेक्ट श्री राधा फ्लोरेन्स) ताज ट्रैपेजियम जोन के क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं0–844 से 848, 850, 851, 867 से 871, मौजा–सुनरख बांगर, तहसील व जनपद–मथुरा पर स्थापित है, जिसके अक्षांश–27.562241 एवं देशान्तर–77.65474 है।
2. संदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट को राज्य बोर्ड के पत्रांक 1441/एन0ओ0सी0–718/12 दिनांक 15.02.12 द्वारा सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था, जिसके क्रम में बिल्डर द्वारा कॉलोनी का निर्माण कर उसे विकसित किया गया तथा आवंटियों को रहने हेतु आवंटित किया गया।
3. सन्दर्भित कालोनी का कुल प्लाट एरिया–94548.88 वर्ग मीटर है, जिसमें सिंप्लेक्स विला–286 (प्रत्येक 83.52 वर्ग मी0), डुप्लेक्स विला–47 (प्रत्येक 100.33 वर्ग मी0), प्लाट–202 (149.25 वर्ग मी0 एवं 83.52 वर्ग मी0), जिसमें 25 प्लॉट निर्मित एवं 25 प्लॉटों पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। कॉलोनी में लगभग आबादी 350 है।
4. संदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट से जनित घरेलू बहिःश्राव के शुद्धिकरण हेतु सीवेज ट्रीटमेंन्ट प्लाट की स्थापना राज्य बोर्ड की अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तो के बिन्दु संख्या 03 के अनुसार की जानी थी, परन्तु बिल्डर द्वारा कालोनी से जनित घरेलू उत्प्रवाह को नगर निगम की सीवेज लाईन से सम्बद्ध किया गया है। हाउसिंग कॉलोनी की सीवर लाइन के नगर निगम में संयोजन के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा जारी पत्र सं0–924/ओ–100/2023 दिनांक–25.08.2023 प्रेषित किया गया, जिसके प्रतिउत्तर में महाप्रबन्धक (जल) नगर निगम मथुरा वृन्दावन, मथुरा द्वारा पत्र सं0–1982/GEN/GM/MTR/2023-24 दिनांक 19.01.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि मै0 एस0जे0पी0 रीयल स्टेट लि0 (प्रोजेक्ट श्री राधा फ्लोरेन्स) की अवस्थापना सम्बन्धित सेवायें दिनांक 01.11.2021 से नगर निगम मथुरा वृन्दावन, मथुरा को हस्तगत की है (पत्र की छायाप्रति संलग्न)। नगर निगम मथुरा वृन्दावन, मथुरा के पत्र में उल्लिखित है कि रियल स्टेट प्रोजेक्ट मै0 एस0जे0पी0 रीयल स्टेट लि0 (प्रोजेक्ट श्री राधा फ्लोरेन्स) से जनित सीवर को रूकमणी विहार एस0पी0एस0 के माध्यम से 08 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 द्वारा शुद्विकृत किया जाता है।
5. संदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हेतु 05 कलैक्शन पिट (प्रत्येक साइज–4x3 फिट) का निर्माण किया गया है।
6. संदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट में सॉलिड वेस्ट के कलैक्शन हेतु कोई जगह निश्चित नहीं की गयी है। कालोनी के सॉलिड वेस्ट को डोर–टू–डोर रिक्शे द्वारा कलैक्ट किया जाता है। कालोनी में नगर निगम मथुरा द्वारा 04 लोहे के वेस्ट कलैक्शन पिट रखे गये है। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधी ने अवगत कराया कि उक्त सॉलिड वेस्ट को नगर निगम द्वारा कलैक्ट किया जाता है, जिसे निस्तारण हेतु नगर निगम की डम्पिंग साइट भेजा जाता है।
7. संदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट में कालोनी के एक तरफ की दीवार की तरफ हरित पट्टिका विकसित की गयी है तथा कालोनी में छोटे–छोट स्थलों पर हरित पट्टिका जिसका कुल क्षेत्रफल–14513.71 वर्ग मी0 में विकसित की गयी है।
8. संदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट के विरूद्व प्राप्त शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में इस कार्यालय के पत्रांक 727/जे–75/2023 दिनांक 13.07.2023, 645/जे–75/2023 दिनांक 12.06.2023 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र में वर्णित बिन्दुओं की अनुपालन आख्या प्रेषित करने हेतु पत्र प्रेषित किये गये थे, जिसका प्रतिउत्तर वर्तमान समय में रियल स्टेट प्रोजेक्ट स्वामी द्वारा कार्यालय में प्रेषित नहीं किया गया है।
9. संदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट के बिल्डर द्वारा कालोनी के संचालन से पूर्व राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये जाने हेतु निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से दिनांक 18.01.2024 को आवेदन किया गया है।
10. प्रश्नगत प्रकरण मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–435/2023 के अन्तर्गत विचाराधीन है।

24.01.2024

अतः उपरोक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित सूत्र के अनुसार संदर्भित रियल स्टेट प्रोजेक्ट मै0 एस0जे0पी0 रीयल स्टेट लि0 (प्रोजेक्ट श्री राधा फ्लोरेन्स), खसरा सं0—844 से 848, 850, 851, 867 से 871, मौजा—सुनरख बांगर, तहसील व जनपद—मथुरा के विरूद्ध रू0 6,250/— मात्र प्रतिदिन की दर से दिनांक 16.02.2016 से दिनांक 31.10.2021 तक कुल 1777 दिन, कुल रू0—1,11,06,250/— की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ जारी कारण बताओ नोटिस को निक्षेपित की संस्तुति सहित अनुपालन आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

Shailesh 24-1-24	24.01.2024	24/01/2024
(शैलेश मौर्य)	(सुनील कुमार यश)	(आर0बी0 सिंह)
अनुश्रवण सहायक	अवर अभियन्ता	क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी महोदय (वृत्त—4),

प्रपत्र 20/01/24

कार्यालय—महाप्रबन्धक(जल)

जलकल विभाग, नगर निगम मथुरा—वृन्दावन,मथुरा
वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड,भूतेश्वर,मथुरा—281001
Email: mathurajalkal@gmail.com

पत्रांक— 1982/GEN/GM/MTR/2023—24 दिनांक—19.01.2024

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
65 ए, बल्देवपुरी, महोली रोड,
मथुरा।

विषयः— **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. N0.—435/2023, जसवीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, में योजित O.A. N0—435/2023 जो श्री राधा फ्लोरेन्स कालोनी, वृन्दावन में बिल्डर मैसर्स एस0 जे0पी0 रीयल स्टेट लिमिटेड द्वारा सुविधाओं के विकास में पर्यावरण मानदण्डों के उल्लघंन से सम्बन्धित है। इस विषय में कृपया अपने कार्यालय के पत्र सं0—924/0—100/2023, दिनांक 25/08/2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कालोनी की अवस्थापना सम्बन्धित सेवायें, दिनांक 01 नवम्बर 2021 से नगर निगम मथुरा—वृन्दावन, को हस्तगत हैं, जलकल विभाग की टीम द्वारा दिनांक 16/01/2024 को कालोनी का निरीक्षण किया गया। कालोनी में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एस0टी0पी0) निर्मित नहीं है। कालोनी में सीवर नेटवर्क विद्यमान है और सीवर लाईन का डिस्पोजल कालोनी के सामने गुजर रही ट्रन्क सीवर लाईन में है। इस ट्रन्क सीवर लाईन का डिस्पोजल रूक्मणी बिहार, एस0पी0एस0 से होता हुआ मांट रोड पर निर्मित 8.0 एम0एल0डी0 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एस0टी0पी0) पर है।

संलग्नकः—स्थलीय निरीक्षण के फोटोग्राफ्स।

महाप्रबन्धक(जल)
नगर निगम मथुरा—वृन्दावन

SA for N.G.P. 20/01/24

पत्रांक—1982/GEN/GM/MTR/2023—24 दिनांक—19.01.2024

प्रतिलिपिः—

1. नगर आयुक्त महोदय,न0नि0म0वृ0,मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक नगर आयुक्त महोदय,न0नि0म0वृ0,मथुरा।
3. अधिशासी अभियन्ता(जल),नगर निगम मथुरा—वृन्दावन, मथुरा।

महाप्रबन्धक(जल)
नगर निगम मथुरा—वृन्दावन

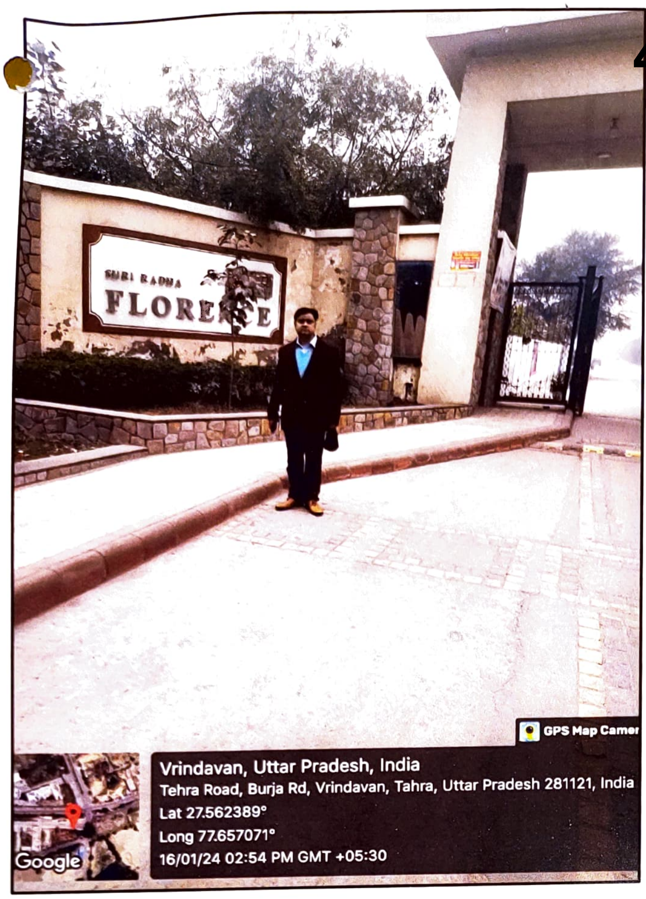
SHRI RADHA
FLORENCE
GPS Map Camer
Vrindavan, Uttar Pradesh, India
Tehra Road, Burja Rd, Vrindavan, Tahra, Uttar Pradesh 281121, India
Lat 27.562389°
Long 77.657071°
16/01/24 02:54 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camer
Vrindavan, Uttar Pradesh, India
Tehra Road, Burja Rd, Vrindavan, Tahra, Uttar Pradesh 281121, India
Lat 27.562558°
Long 77.657168°
16/01/24 02:50 PM GMT +05:30
Google

FLORENCE
GPS Map Camera
Tahra, Uttar Pradesh, India
HM64+WXG, Gopal Garh - Tehra Link Rd, Tahra, Vrindavan, Uttar Pradesh 281121, India
Lat 27.562324°
Long 77.657358°
16/01/24 02:52 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Came
Tahra, Uttar Pradesh, India
HM64+VF3, Tahra, Vrindavan, Uttar Pradesh 281121, India
Lat 27.562304°
Long 77.655893°
16/01/24 02:46 PM GMT +05:30
Google

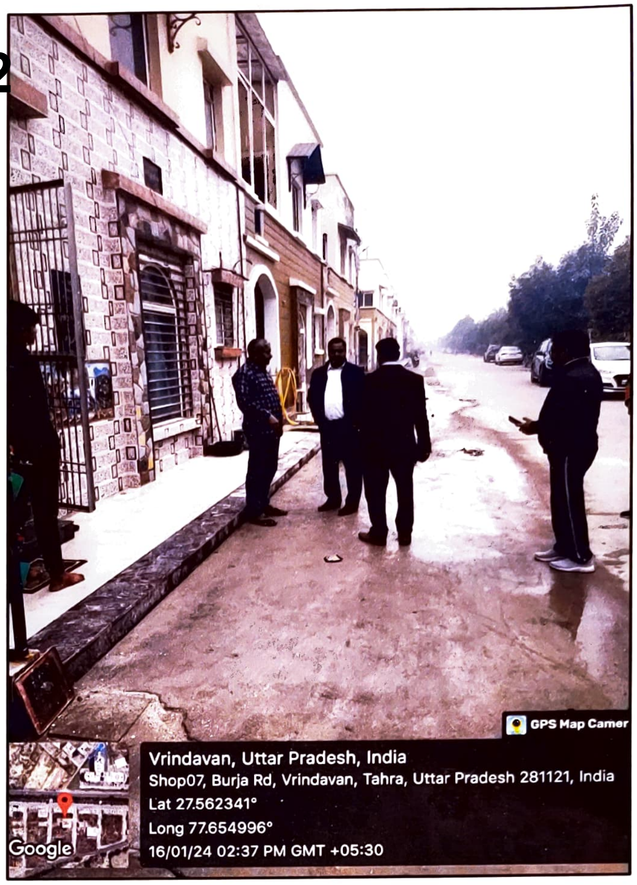
GPS Map Camer
Vrindavan, Uttar Pradesh, India
Shop07, Burja Rd, Vrindavan, Tahra, Uttar Pradesh 281121, India
Lat 27.562341°
Long 77.654996°
16/01/24 02:37 PM GMT +05:30
Google

UP 14
BN9507
GPS Map Camera
Vrindavan, Uttar Pradesh, India
Shop07, Burja Rd, Vrindavan, Tahra, Uttar Pradesh 281121, India
Lat 27.562377°
Long 77.654993°
16/01/24 02:36 PM GMT +05:30
Google